

- **परिचय:**
 - PM-कुसुम भारत सरकार द्वारा वर्ष 2019 में शुरू की गई एक प्रमुख योजना है जिसका प्राथमिक उद्देश्य सौर ऊर्जा समाधानों को अपनाने को बढ़ावा देकर कृषि क्षेत्र में बदलाव लाना है।
 - यह मांग-आधारित दृष्टिकोण पर काम करता है। **वभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों (Union Territories- UT) से प्राप्त मांगों** के आधार पर क्षमताओं का आवंटन किया जाता है।
 - वभिन्न घटकों और वित्तीय सहायता के माध्यम से, PM-कुसुम का लक्ष्य **31 मार्च, 2026 तक 30.8 गीगावाट की महत्वपूर्ण सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि हासिल करना है।**
- **PM-कुसुम के उद्देश्य:**
 - **कृषि क्षेत्र का डिजलीकरण समाप्त करना:** इस योजना का उद्देश्य सौर ऊर्जा चालित पंपों और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को प्रोत्साहित करके **सिंचाई के लिये डिजल पर निर्भरता को कम करना है।**
 - इसका उद्देश्य **सौर पंपों के उपयोग के माध्यम से सिंचाई लागत को कम करके** किसानों की आय में वृद्धि करना तथा उन्हें अधिशेष सौर ऊर्जा को ग्रिड को बेचने में सक्षम बनाना है।
 - **किसानों के लिये जल एवं ऊर्जा सुरक्षा:** सौर पंपों तक पहुँच प्रदान करके और सौर-आधारित सामुदायिक सिंचाई परियोजनाओं को बढ़ावा देकर, इस योजना का उद्देश्य किसानों के लिये जल एवं ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाना है।
 - **पर्यावरण प्रदूषण पर अंकुश लगाना:** **सबसे अधिक एवं नवीकरणीय सौर ऊर्जा को अपनाकर**, इस योजना का उद्देश्य **पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण को कम करना है।**

